

प्रेषक,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
महाराजगंज।

सेवा में,

१. प्रवन्धक,  
विशेष अकाडमी प्राप्ति मञ्चाकड़,  
महाराजगंज।

पत्रांक: अर्थ / २७२१-२५

/ 2006-07 /

दिनांक: ११ अगस्त, २००६

विषय:- प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थायी मान्या प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में जनपदीय मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की अस्थायी मान्यता शासनादेश संख्या-230/15-6-96-18एस(7)दिनांक: 18-1-96 एवं शासनादेश संख्या-1873(1)15-6-96एस-(7)/89 दिनांक: 10-9-98 के कम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सत्र 2006-07 से प्रदान की जाती है।

- १:- परिषदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाये।
- २:- अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति मान्य नहीं है। अर्ह अध्यापकों की नियुक्ति, अनुमोदन वालू सत्र में करा दिया जाय।
- ३:- अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जायें।
- ४:- विना पूर्व अनुमति के कोई भी कक्षा उपर्याप्त वन्द व समाप्त, स्थानान्तरित न किये जायें। नियमानुसार पॉच वर्ग अनुमन्य होंगे।
- ५:- विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क का लेखा-जोखा रखा जाय।
- ६:- इस कार्यालय की अनुमति के बिना किसी अर्ह, प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त नहीं की जायेगी।
- ७:- विभागीय नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन तथा अनियमित कार्यों की दशा में मान्यता निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।
- ८:- स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु पॉच वर्ष के अन्दर लिखित सभी शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(भूपेन्द्र कुमार सिंह)

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
महाराजगंज।

पृष्ठा/अर्थ/

/ 2006-07 - तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. जिला समाज कल्याण अधिकारी, महाराजगंज।
२. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला विकलांग/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद-महाराजगंज।
३. उप वैसिक शिक्षा अधिकारी, महाराजगंज।
४. संबंधित सहायक वैसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद-महाराजगंज।

(भूपेन्द्र कुमार सिंह)

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
महाराजगंज।



